कच्चे तेल का उत्पादन बढ़ाने के लिये निजी क्षेत्र को भागीदार बनाना

1204. **श्री कपिल सिब्बल:**
श्री बरजिन्दर सिंह:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने देश में कच्चे तेल का उत्पादन बढ़ाने के लिये निजी क्षेत्र को भागीदार बनाने का निर्णय ले लिया है;

(ख) यदि हां, तो यह निर्णय अंतिम रूप से कब लिया गया था;

(ग) क्या यह भी सच है कि सरकार ने इस प्रयोजनार्थ नयी अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति बनाई है;

(घ) यदि हां, तो यह नीति कब बनायी गयी और इसका विस्तृत ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या केवल 48 तेल क्षेत्रों में ही इस समय अनुमति देने का निर्णय लिया गया है, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) जी, हां। अन्वेषण ब्लाकों के लिए बोलियों के आमंत्रण के साथ निजी प्रतिभागिता का वर्तमान चरण 1991 में आरंभ हुआ। इसलिए छोटे और मध्यम आकार के खोजे गए क्षेत्र भी 1992 और 1993 में निजी कंपनियों और संयुक्त उद्यमों द्वारा विकास के लिए प्रस्तावित किए गए थे।

(ग) से (ङ) नई अन्वेषण लाइसेंस नीति भारत सरकार द्वारा मार्च, 97 में अनुमोदित की गई थी। इस नीति की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं:

— मुक्त रकबा प्रणाली पर ब्लाकों का आबंटन।

— निजी तेल कंपनियों की तुलना में राष्ट्रीय तेल कंपनियों को समान कार्य अवसर।

— राष्ट्रीय तेल कंपनियों के लिए कोई ब्लाक आरक्षित नहीं।

— राष्ट्रीय तेल कंपनियों (एन ओ सीज) द्वारा कोई अनिवार्य प्रतिभागिता या पहले से दिया जा रहा हित नहीं।

— की गई खोजों के लिए तेल का अंतरराष्ट्रीय मूल्य।

— हस्ताक्षर, उत्पादन/खोज बोनस का भुगतान नहीं।

— कोई सीमा शुल्क नहीं।

— घरेलू बाजार में बाजार से संबंधित मूल्यों पर कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस बेचने की स्वतंत्रता।

— कच्चे तेल के उत्पादन पर कोई उपकर नहीं।

— यथामूल्य आधार पर रायल्टी का भुगतान।

* भूस्थित कच्चे तेल के लिए 12.5 प्रतिशत।

* अपतटीय कच्चे तेल के लिए 10 प्रतिशत।

* तटीय और अपतटीय दोनों पर प्राकृतिक गैस पर 10 प्रतिशत।

— वाणिज्यिक उत्पादन के आरंभ होने के बाद पहले सात वर्षों के लिए गहरे अपतटीय ब्लाकों से उत्पादन पर रायल्टी की आधी दर।

— पेट्रोलियम कर संहिता लागू की जाएगी।

— हाइड्रोकार्बन विकास निधि के लिए प्रावधान।

इसके अलावा, सरकार ने अन्वेषण और उत्पादन क्षेत्र को बुनियादी सुविधाओं का दर्जा दे दिया है, जो 7 वर्ष के लिए कर से छूट प्रदान करता है।

नई अन्वेषण लाइसेंस नीति के पहले दौर के अंतर्गत बोली के लिए 48 ब्लाक प्रदान करने का प्रस्ताव है। इन ब्लाकों की भूगर्भीय आंकड़ों सहित विभिन्न परिस्थितियों के आधार पर पहचान की गई है।

कच्चे तेल के नये भंडार

1205. **श्री बरजिन्दर सिंह:**
श्री कपिल सिब्बल:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम ओ०जी०सी० तथा इंडियन आयल कार्पोरेशन द्वारा देश में कच्चे तेल के नये भंडारों का पता लगाने तथा उनसे तेल निकालने का कार्य किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1995-96 से मार्च 1998 के अंत तक देश में किन-किन स्थानों पर तेल के भंडारों का पता लगाने का कार्य किया गया था;

(ग) इनमें से कितने स्थानों पर तेल के नये भंडारों का पता लगाने में सफलता मिली; और